तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5518/2017/भरतपुर** **गोविन्दा बनाम स्वरूप सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर ,सदस्य

उपस्थितः–

श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 23–8–2024

1– यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के समक्ष एक राजस्व वाद ग्राम कुम्मा तहसील व जिला भरतपुर में स्थित विवादित आराजीयात बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वादी की साक्ष्य बंद के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–5–2014 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 9–5–2014 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। राजस्व विभाग द्वारा किये गये कमी पेशी की दुरूस्ती हेतु विचाराधीन वाद–पत्र में प्रकरण दिनांक 21–5–2012 को अप्रार्थी संख्या 1 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5518/2017/भरतपुर** **गोविन्दा बनाम स्वरूप सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरूद्ध उक्त अप्रार्थी के 8-11-2011 के मृत होने के उपरांत अबेट करने के आदेश दिनांक 9-5-2014 को पारित किये गये। पेशी दिनांक 19-5-2011 को प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पेश किया गया है, जिस हेतु प्रकरण न्यायालय के समक्ष जैरकार रहा है। आक्षेपित आदेश से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की सीमा तक वाद पत्र को अबेट किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिस पर प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण इस हेतु जैरकार रहा है। दिनांक 12-12-2014 को उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अबेटमेंट निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। किन्तु प्रकरण में वादी की साक्ष्य नहीं खोली जाकर प्ररकण वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु विचाराधीन चला आ रहा है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-5-2014 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दिवानी को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावे। 5- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को कई अवसर दिए जाने एवं कास्ट पर भी अवसर दिए जाने के बावजूद उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से साक्ष्य बंद की गई । ऐसे आदेश में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 6- हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 9-5-2014 द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश नहीं करने के कारण दावा वादी प्रतिवादी संख्या 2 की सीमा तक अबेट किया एवं दूसरा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 19-5-2011 का निस्तारण कर वादी की साक्ष्य बंद करने के आदेश पारित किए है । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12-12-2014 को प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार कर अबेटमेंट निरस्त किए जाने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5518/2017/भरतपुर** **गोविन्दा बनाम स्वरूप सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश पारित किए जा चुके हैं ।

जहाँ तक दूसरा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी की साक्ष्य बंद किए जाने का प्रश्न है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 का प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाकर आदेश पारित किया जाना है । यदि प्रार्थी/वादी को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर प्रदान नहीं किया गया तो उसके हितों पर विपरीत प्रभाव होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता और वह मूल वाद को साबित नहीं करा पायेगा। इसी प्रकार का सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न विनिश्चयों में प्रतिपादित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की मंशा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रार्थी/वादी को अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अन्तिम अवसर सशर्त दिया जाना न्यायोचित समझते है।

7– परिणामतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सशर्त स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2014 के खण्ड–2 को निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी/वादी द्वारा रूपये दो हजार मात्र कास्ट अप्रार्थी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अदा करने पर प्रार्थी वादी को अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है। उभय पक्षकारान उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 25–9–2024 को उपस्थित हों ।

पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य